रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253446 CG-DL-E-28032024-253446

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

No. 221]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 28 मार्च, 2024

सं. 26/2024- सीमाश्ल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 235(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पिठत धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.-**(1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (पहला संशोधन) रेगुलेशन्स, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. उक्त विनियमों में, विनियम 15 में;

2331 GI/2024 (1)

(क) उप विनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर " 31 मार्च, 2024 तक" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "30 जून, 2024 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 450/58/2015- सीमाशुल्क IV (पार्ट.I)]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी: इस प्रधान विनियमावली को सा.का.नि. 448 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 94/2023 -सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 28 दिसंबर, 2023, सा.का. नि. 923 (अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2023 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

No. 26/2024-Customs (N.T.)

- **G.S.R.** 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, namely: -
 - 1. **Short title and commencement.-**(1) These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transhipment (First Amendment) Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the said regulations, in regulation 15,-
 - a. in sub-regulation (2), for the words, figures and letters, "till 31st March 2024", the words, figures and letters, "till 30th June 2024" shall be substituted.

[F. No. 450/58/2015- Cus IV(Pt.I)]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 448(E), dated the 11th May, 2018 and were last amended vide notification No. 94/2023-Customs (N.T) dated the 28th December 2023, vide number G.S.R. 923 (E), dated the 28th December 2023.